P-1 R.M.M. Law College Saharsa.
Manvendra Mandal | Subject - Contract - II
Part time Lecture part - II

धारा 196- किसी व्यक्ति के लिए उसके प्राधिकार के बिना किये गये कार्य के बारे में उसका अधिकार: अनुसमर्थन का प्रभाव → जहाँ कि कार्य एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के निमित किन्तु उसके ज्ञान या प्राधिकार के बिना किये जाते हैं, वहाँ वह निर्वाचित कर सकेगा कि ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन करे या अनंगीकरण करे। यदि वह उनका अनुसमर्थन करे तो उन कार्यों के वैसे ही परिणाम होगें मानो वे उसके प्राधिकार से किये गये थे अनुसमर्थन का सिद्धान्त लागू होने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है—

(i) कार्य एक व्यक्ति द्वारा किया गया हो,
(ii) वह कार्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया गया हो,
(iii) कार्य उस अन्य व्यक्ति के प्राधिकार या सहमति के बिना किया गया हो
(iv) कार्य अनुसमर्थक (अन्य व्यक्ति) द्वारा स्वीकार या अंगीकार किया गया हो

अनुसमर्थन करना एक विवेकीय अधिकार है। यदि वह व्यक्ति, जिसके लिए कार्य किया गया है, अस्वीकार करता है तो Ratification नहीं हो सकता है विधि उस व्यक्ति को पूरी छूट देती है कि चाहे वह स्वीकार या अस्वीकार करे। स्वीकार किये जाने पर कार्य करने वाला व्यक्ति अनुसमर्थक का अभिकर्ता माना जाता है और उसके किये गये कार्यों का वही परिणाम होगा जो उसके प्राधिकार से किये गये कार्यों का होता है अशोक कुमार जैन पाण्डिया बनाम संयोग को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के वाद में यह निर्णित किया गया कि जो संविदा पहले की जा चुकी है, उसको अपनाना अनुसमर्थन है यह कोई नयी संविदा का गठन करना नहीं है। ऐसी संविदा जिसकी कोई वैधता न हो, उसका अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। अनुसमर्थन किये गये कार्यों का भूतलक्षी (Retrospective) प्रभाव होता है अर्थात Ratification contract की तिथि से ही प्रभावशाली होता है न कि Ratification की तिथि से।

इससे सम्बन्धित वाद बोल्टन बनाम लैम्बर्ट में प्रतिवादी ने एक कम्पनी से प्रस्ताव किया, जिसकी स्वीकृति कम्पनी के प्रबंध निदेशक ने दिया, किन्तु उसे प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार ही नहीं था। कम्पनी ने तत्पश्चात उस कार्य का अनुसमर्थन किया। प्रतिवादी ने अनुसमर्थन के पूर्व ही अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। प्रश्न यह था कि क्या कम्पनी संविदा का पालन करा सकती है अर्थात् प्रतिवादी अपने प्रस्ताव से बाध्य था।

P-2 धारा 196 किसी व्यक्ति के लिए उसके प्राधिकार के बिना किये गये कार्य के बारे में उसका अधिकार: अनुसमर्थन का प्रभाव-

न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुसमर्थन का भूतलक्षी प्रभाव होता है। कम्पनी का अनुसमर्थन उस समय से मान्य होगा जब से प्रबंध निदेशक ने प्रस्ताव को स्वीकार किया है। उस समय प्रतिवादी एवं प्रबंध निदेशक के बीच संविदा पूर्ण हो गयी थी यदि उसे प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार होता। लेकिन तत्पश्चात उसके कार्यों का अनुसमर्थन उसी समय से प्रभावकारी होगा जबसे उसने कार्य किया है अतः प्रतिवादी संविदा का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

Scanned with CamScanner